International Journal of Social Science and Education Research

ISSN Print: 2664-9845
ISSN Online: 2664-9853
Impact Factor: RJIF 8.15
IJSSER 2025; 7(1): 628-633
www.socialsciencejournals.net
Received: 12-02-2025
Accepted: 20-03-2025

ललित काण्डपाल
पीएचडी (Ph.D) शोधार्थी, राजनिति विज्ञान, सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा, उत्तराखंड, भारत

Corresponding Author:
ललित काण्डपाल
पीएचडी (Ph.D) शोधार्थी, राजनिति विज्ञान, सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा, उत्तराखंड, भारत

एकात्मक शासन तथा संघात्मक शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण

ललित काण्डपाल

DOI: https://www.doi.org/10.33545/26649845.2025.v7.i1h.256

सारांश
राजनितिक व्यवस्था में शासन-शक्ति के एक स्तर पर केन्द्रिकरण या अनेक स्तरों में वितरण के आधार पर शासन व्यवस्थाओं के तीन प्रतिमान मान्य रहे हैं| पहला एकात्मक प्रतिमान, जिसमें राज्य शक्ति का प्रयोग एक स्थान पर केंद्रित रहता है, दूसरा परिसंघात्मक प्रतिमान, जिसमें राज्य शक्ति का प्रयोग अनेक स्थानों पर केंद्रित रहता है तथा तीसरा संघात्मक प्रतिमान, जिसमें राज्य-शक्ति का प्रयोग दो स्तरों पर स्थापित, केन्द्रीय व राज्यों की सरकारों में निहित रहता है। यद्यपि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई सरकार एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रतिमानों के तत्वों का विचित्र मिश्रण हो सकती है। संघीय शासन प्रणाली में सरकार की शक्तियों का पूरे देश की सरकार और देश के विभिन्न प्रदेशों की सरकारों के बीच विभाजन इस प्रकार किया जाता है| कि हरेक सरकार अपने-अपने क्षेत्र में कानूनी तौर पर एक दूसरे से स्वतंत्रत होती है। सारे देश में सरकार अपना ही अधिकार क्षेत्र होता है, और यह देश के संघटक अंगों की सरकारों के किसी प्रकार के नियंत्रण बिना अपने अधिकार का उपयोग करती है, और इन अंगों की सरकारें भी अपने स्थान पर अपनी शक्तियों का उपयोग केंद्रीय सरकार की किसी नियंत्रण के बिना ही करती है। विशेष तौर से, सारे देश की विधायिका की अपनी सीमित शक्तियां होती हैं, और इस प्रकार राज्यों या प्रान्तों की सरकारों की भी सीमित शक्तियां होती हैं। दोनों में ही कोई किसी के अधीन नहीं होती और दोनों एक दूसरे के समन्वयक होती हैं। दूसरी और, एकात्मक शासन प्रणाली में पूरे देश की विधायिका देश में सर्वोच्च कानून बनाने वाली प्राधिकरण है, यह अन्य विधायिकाओं की विद्यमानता और उनको अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए इजाजत दे सकती है, लेकिन कानूनी तौर पर इसे यह शक्ति प्राप्त होती है कि वे उन पर अपना प्रभाव रख सके| वे इसके अधीन होती हैं| जैसा ऊपर इस बात की ओर संकेत किया गया है, कोई ऐसी राजनीतिक पद्धति हो सकती है जिसमें इन दोनों शासन प्रणालियों का ऐसा विचित्र मिश्रण हो किकेंद्रीय सरकार और स्थित क्षेत्रीय सरकारों के मुकाबले बहुत शक्तिशाली हो| ऐसी पद्धति को परिसंघात्मक कहा जा सकता है।

कूटशब्द : संघात्मक शासन, एकात्मक शासन, प्रांतीय सरकार, एकल नागरिकता, लचीला संविधान

प्रस्तावना
राजनीति शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकारों को दो भागों- एकल व संघीय में वर्गीकृत किया है। परिभाषा के अनुसार, एकल क्या एकात्मक सरकार वह सरकार है, जिसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्र सरकार में निहित होती हैं। दूसरी ओर संघीय सरकार वह सरकार है,

जिसमें शक्तियां संविधान के द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती है। दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक करते हैं। वर्तमान समय में ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, चीन, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, बांग्लादेश, आदि में सरकार का एकात्मक स्वरूप को अपनाया गया है।

संघात्मक शासन व्यवस्था में सरकारों के बीच संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन राष्ट्रीय सरकार या संघ सरकार या फिर केंद्रीय सरकार तथा क्षेत्रीय सरकार या राज्य सरकार या फिर प्रांतीय सरकार में किया जाता है। वर्तमान समय में विश्व में अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना आदि। राज्यों में सरकार का संघीय मॉडल को अपनाया गया है।

एकात्मक सरकार:- एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का संपूर्ण शक्तियां संविधान के द्वारा एक केंद्र सरकार में निहित की जाती हैं तथा राज्य शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय सरकार ही स्वरुप ही रहती है| एकात्मक शासन में विविध प्रादेशिक सरकारें व स्थानीय सरकारें, प्रशासकीय कुशलता व सुविधा के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाती है, जो कि इन्हें आवश्यक सत्ता प्रदान करती हैं और इन पर पूर्ण नियंत्रण रखती है| एकात्मक व्यवस्था में नागरिकों के लिए सत्ता व राज्य भक्ति का एकमात्र स्त्रोत केंद्र सरकार ही रहता है| एकात्मक राज्य को शासन की सुविधा एवं कार्य-कुशलता की प्राप्ति हेतु, प्रदेशों अथवा प्रान्तों में विभक्त किया जाता है, किंतु इन प्रादेशिक या स्थानीय सरकारों की कोई पृथक, स्वतंत्र हुआ मौलिक सत्ता नहीं होती है। इन सरकारों के सभी प्रशासकीय अधिकारों का स्रोत संविधान नहीं होकर केंद्रीय सरकार ही होती है| इस प्रकार, एकात्मक शासन व्यवस्था में प्रादेशिक व स्थानीय सरकारें है केंद्रीय सरकार की प्रतिनिधि सरकार रहती है, जिन्हें केंद्रीय सरकार समाप्त कर सकती है। इसमें पारस्परिकता रहती है तथा संबद्ध मालिक और नौकर के होते हैं। एकात्मक शासन में, सरकारों की शक्तियों का स्रोत केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों की पारस्परिक संबंध व नागरिकों की राज्य निष्ठा होती है।

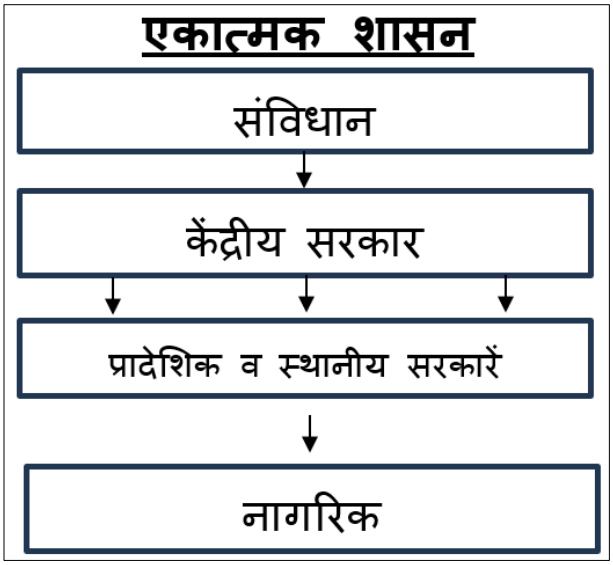

चित्र 1: संविधान, केंद्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकारों व नागरिकों के सम्बन्ध

एकात्मक शासन की विशेषताएं

1. संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं - एकात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती है, तथा संपूर्ण देश में सभी विषयों के संबंध में केंद्र सरकार ही सर्वोच्च होती है|
2. स्थानीय सरकारों की केंद्र में निर्भरता - एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय सरकारों का स्वरूप एवं शक्तियां केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं। प्रांतीय सरकारों का संपूर्ण अस्तित्व केंद्र सरकार पर निर्भर करता है।
3. इकहरी नागरिकता - एकात्मक शासन वाले राज्यों में एकल नागरिकता की व्यवस्था होती है, यद्पि भी इकहरी नागरिकता होने का तात्पर्य आवश्यक रूप से एकात्मक नहीं होता है। भारत संघात्मक व्यवस्था को अपनी जाने की बावजूद एकल नागरिकता को अपनाया गया है।
4. लचीला संविधान- एकात्मक शासन व्यवस्थाओं में संविधान लचीला होता है। यहां संविधान लिखित (फ्रांस) तथा अलिखित (ब्रिटिश) दोनों हो सकते हैं।

एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण

1. प्रशासनिक एकरूपता - एकात्मक शासन के अंतर्गत संपूर्ण राज्य में एक ही कानून होते हैं इन सभी कानून को केंद्र सरकार के निर्देश के अंतर्गत

कार्य रूप में परिणत किया जाता है। अतः स्वाभाविक रूप से नीति निर्धारण से संबंधी वह एकरूपता आ जाती है जो राज्य की उन्नति और कुशल प्रशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

2. प्रशासनिक शक्तिसंपन्नता- इस शासन व्यवस्था में शक्ति का केंद्रीकरण होने के कारण प्रशासन का संपूर्ण उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का ही होता है, और एक निश्चित उत्तरदायित्व के कारण प्रशासन में कुशलता आ जाती है।
3. वैदेशिक संबंधों में कुशलता पूर्वक संचालन- वर्तमान समय में प्रत्येक सरकार का अनिवार्य कार्य विदेशी संबंधों का संचालन करना होता है, इन संबंधों का संचालन एकात्मक सरकार के द्वारा ठीक प्रकार से किया जा सकता है।

   इस संबंध में विलोबी ने लिखा है कि- "सुरक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संबंध में एकात्मक राज्य की शक्ति विशेषतया स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि ऐसे राज्य में शक्ति का कोई झगड़ा नहीं होता, काम के बारे में उत्तरदायित्व की कोई अस्पष्टता नहीं होती, क्षेत्र का उल्लंघन नहीं होता, काम का या संगठन का कोई ऐसा दोहरापन नहीं होता जिसे तुरंत ठीक नहीं किया जा सके"
4. संकटकाल के लिए उपयुक्त - युद्ध, आर्थिक संकट और अन्य असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत शीघ्रतापूर्वक निर्णय करने, उन्हें गुप्त रखने और शीघ्र ही उन्हें कार्य रूप में परिणत करने की आवश्यकता होती है| यह केवल एकात्मक शासन के द्वारा ही किया जा सकता है। इस बात को दृष्टि में रखकर भारतीय संविधान के अंतर्गत संकट काल के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत की सरकार का स्वरूप संघात्मक को एकात्मक में परिवर्तित करने की व्यवस्था की गई है।
5. संगठन में सरलता- संगठन की दृष्टि से एकात्मक शासन बहुत सरल होता है संपूर्ण शक्ति केंद्र शासन में निहित होने के कारण केंद्रीय शासन और इकाई सरकारों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की गुंजाइश नहीं रहती है।
6. छोटा देशों के लिए बहुत उपयुक्त- एकात्मक शासन व्यवस्था छोटे भौगोलिक क्षेत्र वाले देशों के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। चीन का भौगोलिक क्षेत्र अत्यधिक होने के बावजूद भी वहां एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए हुए हैं।

एकात्मक शासन के दोष

1. केंद्रीय सरकार के निरंकुश होने का भय- एक ही सरकार होने की वजह से केंद्र सरकार शासन सभी क्षेत्रों में मनमानी कर सकती है।
2. शासन की अक्षमता- एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार के हाथों में निहित होती है। जिस कारण केंद्र सरकार से इस बात की आशा नहीं की जा सकती है कि वह देश के विभिन्न भागों की आवश्यकताओं को ठीक से समझ कर उचित रूप से शासन कर सकेगी।
3. नौकरशाही का शासन- एकात्मक शासन में जनता को शासन में सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए शासन शक्ति सरकारी कर्मचारियों के हाथ में केंद्रित हो जाती है| और नौकरशाही का स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो जाता है।
4. विविधताओं वाले राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं- बड़े क्षेत्रफल और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में जहां पर भाषा, नस्ल, धर्म और संस्कृति की विविधताएं हो वहां उपयुक्त नहीं है।

संघात्मक शासन व्यवस्था

संघीय शासन, शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन देन है। 'संघ' शब्द अंग्रेजी पर्यायवाची फैडरेशन (Federation) लैटिन भाषा के शब्द 'फोएडस' (Foedus) से निकला है, जिसका अर्थ है 'संधि' या 'समझौता'। अतः शब्द विपत्ति की दृष्टिकोण से समझौते द्वारा निर्मित राज्य को संघ राज्य कहा जा सकता है। संवैधानिक दृष्टिकोण से संघात्मक शासन का तात्पर्य एक ऐसी शासन से होता है, जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है।

डायसी के कथन के अनुसार- "संघात्मक राज्य, एक ऐसी राजनीतिक उपाय की अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों के अधिकारों में मेल स्थापित करना है।"

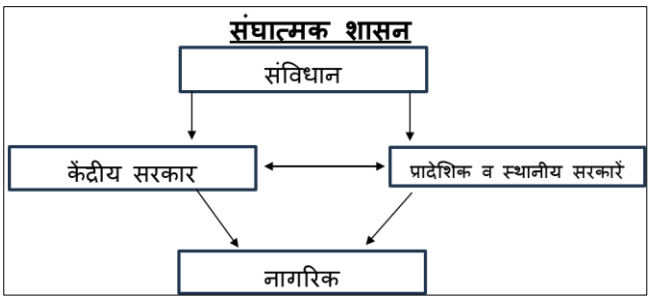

चित्र 2: संविधान, संघ सरकार, राज्य सरकारों व नागरिकों का सम्बन्ध

संघात्मक सरकार की विशेषताएं

1. प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग:- यद्यपि संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता है, और संघ और राज्य में भी संप्रभुता विभाजित होती है किंतु संप्रभुता के अभिव्यक्ति अवश्य ही केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार इस प्रकार दो साधनों द्वारा होती है।
2. शक्तियों का विभाजन - संघीय सरकार के अंतर्गत संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकार के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। राष्ट्रीय महत्व के विषयों को केंद्रीय सरकार को तथा स्थानीय महत्व के विषयों को प्रांतीय सरकार को कानून बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है।
3. संविधान की सर्वोच्चता - संघ शासन समझौते द्वारा स्थापित शासन होता है। यह समझौता संविधान में ही निहित होता है और संविधान में ही इस समझौते में परिवर्तन विधि का उल्लेख होता है। संघात्मक राज्य के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च होता है और केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारी तथा सरकार के विभिन्न अंग संविधान के प्रतिकूल किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हैं।
4. न्यायपालिका की सर्वोच्चता - सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करने का होता है।

   हास्किन के शब्दों में, "संघीय शासन में सर्वोच्च न्यायालय शासन तंत्र में संतुलन रखने वाला पहिया है।"
5. दोहरी नागरिकता - संघ राज्य के अंतर्गत साधारणता दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। एक व्यक्ति केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकार जिसमें वह रहता है- दोनों का नागरिक होता है। भारतीय संविधान ने एक संघ राज्य की स्थापना की है किंतु दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है।

संघीय शासन के गुण

1. राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य - यह शक्तियों विभाजन संविधान के आधार पर के आधार पर किया जाता है। इसलिए दोनों सरकारों के बीच सामान्य से बना रहता है। डायसी के अनुसार- "संघ-शासन राष्ट्रीय एकता और राज्यों के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने की अद्भुत राजनीतिक पद्धति है|"
2. निर्बल राज्यों को शक्तिशाली बनाने की पद्धति- संघीय शासन के द्वारा छोटे-छोटे राज्यों को एक अवसर प्राप्त होता है, कि वह परस्पर मिलकर एक शक्तिशाली संगठन का निर्माण कर सके। वर्तमान युग में तो संगठन से ही शक्ति प्राप्त होती है। जैसा कि हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो विभिन्न 50 राज्य है, वे यदि पृथक रहते तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती थी, जो आज अमेरिका संघ के कारण प्राप्त है।
3. केंद्रीय शासन की कार्य कुशलता में वृद्धि - जनकल्याणकारी राज्यों की अवधारणा के कारण वर्तमान समय में सरकार के कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है।
4. निरंकुशता की आकांक्षा नहीं - संघात्मक शासन में इस बात की आकांक्षा नहीं रहती कि कोई एक व्यक्ति, या जनसमुदाय सारी राजशक्ति अपने हाथों में ले कर एकतंत्र या श्रेणीतंत्र की स्थापना कर ले।

   लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में, "संघ में एक निरंकुश शासन द्वारा जनता के अधिकार हड़प लिए जाने का खतरा नहीं रहता है।"

5. विशाल राज्यों के लिए नियतांत उपयुक्त- प्रायः बड़े राज्यों में भाषा, धर्म और हितों की विभिन्नता पाई जाती है इन विभिन्नताओं के आधार पर अलग-अलग क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं। संघात्मक शासन में इकाइयों को शक्ति प्रदान कर इस प्रकार की विभिन्नओं की रक्षा की जाती है।
6. मितव्ययिता और आर्थिक विकास - आर्थिक बचत की दृष्टि से संघीय शासन उत्तम है, क्योंकि संघ की स्थापना से वे अन्य व्यय बच जाते हैं, जो संघ की प्रत्येक इकाई को अलग रहते हुए उन कार्यों को करने पड़ते हैं, जिन्हें संघीय सरकार भी इकाइयों की ओर से करने लगती है|

संघात्मक शासन प्रणाली के दोष

1. आंतरिक प्रशासन संबंधित दुर्बलता राज्यशक्ति की एकता के अभाव में संघ राज्य में वह एकता और शक्ति नहीं होती है जो, एकात्मक शासन में होती है।
2. अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दुर्बलता -यद्यपि प्रतीक संघ राज्य में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की संचालन का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है| लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संचालन ठीक प्रकार से करने के लिए व्यापार, वाणिज्य, सूचना और पर्यटन आदि अनेक विभागों का सहयोग आवश्यक होता है।

   व्हीयर के शब्दों में "संघवाद और उत्साहपूर्ण विदेश नीति साथ-साथ नहीं चल सकते हैं।"
3. उत्तरदायित्व की अनिश्चित - एकात्मक शासन में शासन का उत्तरदायित्व सुगमता से स्थापित किया जा सकता है क्योंकि सभी प्रशासन संबंधी दोषों केलिए केंद्र सरकार उत्तरदायी होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है।
4. राज्यों के संघ से निकाल जाने की आशंका- संघात्मक शासन में सदैव या आशंका बनी रहती है, कि जिन इकाइयों के द्वारा संघ का निर्माण किया गया है, उसमें से एक या कुछ इकाइयां संघ से निकल ना जाए। जैसा की 1991 में USSR के साथ हुआ और वहां के राज्यों द्वारा संघ को भंग कर दिया गया।

एकात्मक तथा संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में तुलनात्मक विश्लेषण

आधार	एकात्मक शासन व्यवस्था	संघात्मक शासन व्यवस्था
शासन की इकाइयाँ	केंद्रीय सरकार	केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकार दोनों होती है।
भौगोलिक क्षेत्र	छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त	बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त
संविधान की प्रकृति	संविधान लचीला हो सकता है|	संविधान कठोर होता है।
नागरिकता	एकल नागरिकता होती है|	दोहरी नागरिकता होती है|
संविधान का स्वरूप	लिखित तथा अलिखित दोनों हो सकते है।	यहाँ अवश्य रूप में लिखित होगा|
शक्ति का वितरण	केंद्रीय सरकार के पास होती है। स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार के अधीन काम करती है।	केंद्र तथा राज्यों में विभाजित होती है। दोनों अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं।
कानून निर्माण	कानून निर्माण का कार्य संपूर्ण राज्य के लिए केंद्र सरकार करती है।	केंद्र और राज्य अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अलग-अलग कानून बना सकते हैं।
संकटकालीन स्थिति	यह संकटकालीन स्थिति के लिए उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्था है।	यह संकटकाल के लिए उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्था नहीं है।
न्यायपालिका का स्वरूप	न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है।	स्वतंत्र न्यायपालिका होती है।
उदाहरण राज्य	ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली चीन, बेल्जियम, नॉर्वे	भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया, कनाडा

निष्कर्ष

एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में मूलभूत अंतर शक्ति के वितरण पर आधारित है। एकात्मक शासन में समस्त शक्तियाँ केन्द्र सरकार के पास होती हैं, जबकि संघात्मक व्यवस्था में शक्तियाँ केन्द्र और राज्यों के बीच विभाजित होती हैं। एकात्मक शासन

सुविधाजनक, तीव्र निर्णय प्रक्रिया और एकरूपता प्रदान करता है, जैसे फ्रांस और जापान में देखने को मिलता है। वहीं, संघात्मक शासन (जैसे भारत, अमेरिका) विविधतापूर्ण समाजों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों, क्षेत्रीय स्वायत्तता और सहभागी शासन को बढ़ावा देता है।एकात्मक व्यवस्था में संविधान लचीला होता है, जबकि संघात्मक व्यवस्था में कठोर संविधान के माध्यम से केन्द्र और राज्यों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। संघात्मक शासन बड़े और विविधतापूर्ण देशों के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियाँ बनाने की स्वतंत्रता देता है। दूसरी ओर, एकात्मक शासन छोटे और सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से समरूप देशों में प्रभावी है। अंततः, दोनों व्यवस्थाओं के अपने गुण-दोष हैं, और किसी देश की आवश्यकताओं के अनुसार ही इनकी उपयोगिता निर्धारित होती है।

सन्दर्भ सूची

1. सी.बी गेना तुलनात्मक राजनीति एवम् राजनितिक संस्थाएं 2022
2. डॉ. बी.एल फड़िया व डॉ कुलदीप फड़िया तुलनात्मक शासन एवम् राजनीति
3. एम. लक्ष्मीकान्त पंचम संस्करण 2017
4. जे. सी. जोहरी तुलनात्मक राजनीति चौदहवां संस्करण 2020
5. डी. डी बसु भारत का संविधान एक परिचय तेरहवां संस्करण 2020
6. डॉ राजेश मिश्रा भारतीय राजव्यवस्था
7. https//www.dristi.ias.com/hindi
8. www.wikipedia.com
9. https//sanskirti.com/hindi